



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

31 ज्येष्ठ 1938 (श0)
(सं0 पटना 504) पटना, मंगलवार, 21 जून 2016

निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग

अधिसूचनाएं

17 जून 2016

सं0 10/मु. संशोधन-77/2016-2965—भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-09 की उप-धारा (1) के खंड (क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल भुगतयेय स्टाम्प ड्यूटी निम्नवत् तय करते हैं : —

दस्तावेज का प्रकार	देय स्टाम्प ड्यूटी
(क) सभी प्रकार के शिक्षा संबंधी ऋण	ऋण का 0.5%
(ख) सभी प्रकार के स्वास्थ्य चिकित्सा संबंधी ऋण	ऋण का 0.5%

02. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से लागू होगी।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

के0 के0 पाठक,

सरकार के प्रधान सचिव।

17 जून 2016

सं० 10/मु. संशोधन-77/2016-2965—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार-राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

के० के० पाठक,

सरकार के प्रधान सचिव।

The 17th June 2016

No. 10/Mu. Amendment-77/2016-2965—In exercise of the powers conferred under Clause (a) of Sub-Section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor of Bihar is pleased to determine the stamp duty payable as under : -

Type of document	Payable Stamp Duty
(a) All types of educational loan	0.5% of the loan amount
(b) All types of Health treatment loan	0.5% of the loan amount

02. This notification will come into force with immediate effect.

By Order of the Governor of Bihar,

K. K. Pathak,

Principal Secretary to the Government.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 504-571+500-डी०टी०पी०।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>